[5/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 2860]

परिशिष्ट-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2860

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय वल्लभभवन

-: आदेश :-

भोपाल दिनांक 21 जून 2011

क्रमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो, राज्य शासन द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को केवल वेतन (ग्रेड-पे छोड़कर) का 30 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन निम्न शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. यह विशेष वेतन केवल उक्त दोनो प्राधिकारियों की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को देय होगा।
2. नियमित अवकाश अवधि के दौरान यह भत्ता देय नही होगा।
3. ग्रेड-पे रूपये 5400 या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को इसकी पात्रता नही होगी।
4. यदि पदस्थापना में परिवर्तन होता है, तो तत्काल प्रभाव से यह विशेष वेतन बंद कर दिया जावें।

2- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 क0 711/716/ब-8/चार/11, दिनांक 08-06-2011 द्वारा प्रदान की गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(व्ही.के.वाघवानी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन गृह विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 2(क) 29/10/बी-3/दो. भोपाल दिनांक 21 जून 2011

प्रतिलिपि:-

1- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय भोपाल।

2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल,

3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

4- आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,

5- कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,

अनु. अधिकारी गृह पु
बी 3 (म.प्र.)